रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112025-267740
CG-DL-E-17112025-267740

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 765]	नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 17, 2025/कार्तिक 26, 1947
No.765]	NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 17, 2025/KARTIKA 26, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2025

सं. 33/2025-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 851(अ).—जहां कि चीन पीआर, कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब, ताइवान और थाईलैंड (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "लिक्विड इपॉक्सी रेजिन " (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वास्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 3907 30 10 और 3907 30 90 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने अंतिम निष्कर्ष में अधिसूचना फाइल संख्या 6/24/2024-डीजीटीआर, दिनांक 18 अगस्त, 2025 जिसे दिनांक 18 अगस्त, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है कि –

(i) विचारार्थ उत्पाद भारत को निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात किया गया है जिसके कारण डंपिंग हुई है;

(ii) विषयगत वास्तु की डंपिंग के कारण भारत में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई;

(iii) आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की विक्रय कीमत के स्तर से कम है जो घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती कर रही है,

घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उनका आकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धाराओं (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तुओं पर, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ मद के अंतर्गत आती है जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, और कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों द्वारा उत्पादित है और भारत में आयातित है, उक्त सारणी के कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा –

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	3907 30 10 और 3907 30 90	लिक्विड इपॉक्सी रेजिन*	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	जियांग्सू कुम्हो यांगनोंग केमिकल कंपनी लिमिटेड	37	प्रति मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2	वही	वही	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	नान्चॉन्ग ज़िंगचेन सिंथेटिक मटेरियल कंपनी लिमिटेड	37	प्रति मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3	वही	वही	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	उपरोक्त (1) और (2) के अलावा कोई भी उत्पादक	258	प्रति मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

4	वही	वही	चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब, ताइवान और थाईलैंड के अलावा कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	258	प्रति मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
5	वही	वही	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई भी देश	कुकडो केमिकल कंपनी लिमिटेड	286	प्रति मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
6	वही	वही	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई भी देश	कुम्हो पी एंड बी केमिकल्स इंक.	184	प्रति मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
7	वही	वही	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई भी देश	उपरोक्त (5) और (6) के अलावा कोई भी उत्पादक	483	प्रति मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
8	वही	वही	चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब, ताइवान और थाईलैंड के अलावा कोई भी देश	कोरिया गणराज्य	कोई भी	483	प्रति मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
9	वही	वही	थाईलैंड	थाईलैंड सहित कोई भी देश	आदित्य बिड़ला केमिकल्स (थाईलैंड) लिमिटेड	119	प्रति मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
10	वही	वही	थाईलैंड	थाईलैंड सहित कोई भी देश	उपरोक्त (9) के अलावा कोई भी उत्पादक	331	प्रति मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
11	वही	वही	चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब, ताइवान और थाईलैंड के अलावा कोई भी देश	थाईलैंड	कोई भी उत्पादक	331	प्रति मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

12	वही	वही	सऊदी अरब	सऊदी अरब सहित कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	175	प्रति मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
13	वही	वही	चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब, ताइवान और थाईलैंड के अलावा कोई भी देश	सऊदी अरब	कोई भी उत्पादक	175	प्रति मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
14	वही	वही	ताइवान	ताइवान सहित कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	115	प्रति मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
15	वही	वही	चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब, ताइवान और थाईलैंड के अलावा कोई भी देश	ताइवान	कोई भी उत्पादक	115	प्रति मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

**लिक्विड इपॉक्सी रेजिन (एलईआर), जिसकी सीएएस सं. 25068-38-6 है और ईयू के आरईएसीएच विनियम सीएएस सं. 1675-54-3 है, जहां एलईआर का समतुल्य भार=< 250 ग्राम/ समतुल्य तक सीमित है; ठोस, अर्ध-ठोस, घोल या जलजनित रूप में इपॉक्सी रेजिन को छोड़कर, और मिश्रित एवं संशोधित एलईआर के साथ-साथ ब्रोमीनयुक्त विलायक इपॉक्सी रेजिन को छोड़कर।*

2. इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) तक की अवधि के लिए लगाया जाएगा और यह भारतीय मुद्रा में देय होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य से ऐसे प्रतिपाटन शुल्क, की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई है और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फा. सं. सीबीआईसी-190349/48/2025-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2025

No. 33/2025-Customs (ADD)

G.S.R. 851(E).— Whereas, in the matter of "Liquid Epoxy Resins" (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff item 3907 30 10 and 3907 30 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from China PR, Korea RP, Saudi Arabia, Taiwan and Thailand (hereinafter referred to as the subject countries) and imported into India, the designated authority in its final findings *vide* notification No. 06/24/2024-DGTR, dated the 18st August, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 18st August, 2025, has, *inter alia*, come to the conclusion that-

(i) the subject goods have been exported to India at a price below normal value, thus resulting in dumping;

(ii) the dumping of the subject goods has resulted in material injury to the domestic industry in India;

(iii) the landed price of imports is below the level of selling price of the domestic industry and is undercutting the prices of the domestic industry,

and has recommended imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from, the subject countries and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely :-

TABLE

S.N.	Tariff item	Description	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	3907 30 10 and 3907 30 90	Liquid Epoxy Resins*	China PR	Any country including China PR	Jiangsu Kumho Yangnong Chemical Co., Ltd	37	MT	USD
2	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Nantong Xingchen Synthetic Material Co., Ltd.	37	MT	USD
3	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any producer other than (1) and (2) above	258	MT	USD
4	-do-	-do-	Any country other than China PR,	China PR	Any	258	MT	USD

			Korea RP, Saudi Arabia, Taiwan and Thailand					
5	-do-	-do-	Korea RP	Any country including Korea RP	Kukdo Chemical Co., Ltd.	286	MT	USD
6	-do-	-do-	Korea RP	Any country including Korea RP	Kumho P&B Chemicals Inc.	184	MT	USD
7	-do-	-do-	Korea RP	Any country including Korea RP	Any producer other than (5) and (6) above	483	MT	USD
8	-do-	-do-	Any country other than China PR, Korea RP, Saudi Arabia, Taiwan and Thailand	Korea RP	Any	483	MT	USD
9	-do-	-do-	Thailand	Any country including Thailand	Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited	119	MT	USD
10	-do-	-do-	Thailand	Any country including Thailand	Any producer other than (9) above	331	MT	USD
11	-do-	-do-	Any country other than China PR, Korea RP, Saudi Arabia, Taiwan and Thailand	Thailand	Any	331	MT	USD
12	-do-	-do-	Saudi Arabia	Any country including Saudi Arabia	Any	175	MT	USD

13	-do-	-do-	Any country other than China PR, Korea RP, Saudi Arabia, Taiwan and Thailand	Saudi Arabia	Any	175	MT	USD
14	-do-	-do-	Taiwan	Any country including Taiwan	Any	115	MT	USD
15	-do-	-do-	Any country other than China PR, Korea RP, Saudi Arabia, Taiwan and Thailand	Taiwan	Any	115	MT	USD

** Liquid Epoxy Resins (LER), having CAS number 25068-38-6 and EU's REACH regulations CAS number 1675-54-3, where the equivalent weight of LER is limited to =< 250 g/eq; excluding epoxy resins in solid, semi-solid, solution or waterborne form, and excluding blended and modified LERs, as well as brominated solvent epoxy resin.*

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F. No CBIC-190349/48/2025-TRU Section-CBIC]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL Date: 2025.11.17 22:32:51 +05'30'